

नगर पालिका, टोडाभीम

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/TODABHIM/FIRENOC/2024-25/45869
जारी दिनांक: 12-JAN-2025 वैधता दिनांक: 11-JAN-2026

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: RAMJEEVAN MEENA
आवेदक का पता: VILLEGE NANDIPUR POST MANNAUJ TEHSIL TODABHIM

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SATYA SADHANA MAHAVIDYALAYA, 359 360, BALGHAT ROAD, NANDIPUR, TODABHIM, GANGAPUR CITY, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थाई (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तों:-

1. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल कराना होगा।
2. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
3. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जाये।
4. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टॉवर में टॉवर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
5. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
6. फायर अनापत्ति प्रमाण-पत्र को किसी प्रकार का स्वामित्व दर्तावेज नहीं माना जावेगा।
7. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
8. भवन के समस्त स्टाफ व सिविलियरी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
9. यदि पालिका अथवा राज्य सरकार द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबन्धक को मान्य होगा।
10. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशोषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
11. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
12. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख-रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
13. भूमि व भवन सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बावत् आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
15. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र रूफटॉप रेस्टोरेन्ट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है वहाँ पर रूफटॉप रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
16. यदि उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं की जाती है तो होने वाली आपदा की समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी एवं अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

Signed by: Hanuman Sharma
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: TODABHIM, Rajasthan
Date: 12/01/2025 12:39:41

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, टोडाभीम

EMEGBS 2809978